न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी नाथूसिंह राठौड़ आर ए एस

राजस्व अपील / 223 / रा.का.अधि. / 66बी / 2016 / बाड़मेर

अपीलांट

1. लिछुदेवी पत्नी मगाराम उम्र 51 वर्ष
2. मगाराम पुत्र सोनाराम उम्र 53 वर्ष जाति जाट निवासी सउओं का तला तहसील चौहटन जिला बाड़मेर(राज.)

रेस्पोडेंटगण

बनाम 1.पता उर्फ पन्नाराम पुत्र भोजाराम
2.हीराराम पुत्र भोजाराम उम्र 53 वर्ष
3.पीराराम पुत्र गिरधारीलाल उम्र 63 वर्ष
4.रतनाराम पुत्र गिरधारीलाल उम्र 56 वर्ष जाति सुथार निवासी नीम्बला जिला बाड़मेर (राज.)
5.राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार चौहटन जिला बाड़मेर (राज.)

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व सहायक कलक्टर चौहटन के राजस्व वाद संख्या 302/2015 बअनवान पताराम वगै. बनाम लिछुदेवी में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 13.06.2016 के विरूद्व पेश हुई।

उपस्थिति

1. वकील श्री हुकमसिंह चौधरी अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री उगराराम सारण, श्री पन्नाराम रेस्पोडेंट की ओर से ।

निर्णय

दिनांकः— 25.02.2020

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि उतरदाता संख्या 01 व 02 वादीगण ने एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका से स्पष्ट है कि 17.11.2015 से 26.05.2016 के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलांट पर सम्मन तामील होकर नहीं आये है और न ही नोटिस, सम्मन पुनःपेश किये गये है। अपीलांट उपरोक्त हस्तगत वाद के सम्मन तामील नहीं होने की वजह से अपीलांट का अपीलाधीन वाद के अन्दर अपनी तरफ से जबावदावा प्रस्तुत नहीं कर सका और न ही कोई साक्ष्य सबूत प्रस्तुत कर सका और न ही अपीलांट को कोई सुनवाई का अवसर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करते वक्त किसी प्रकार की विधिक प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है। अपीलाधीन आदेश प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ होने से काबलि निरस्त योग्य है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। दोनों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट को सुने बिना निर्णय पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट के सम्मन उसके पति मगाराम से तागील में मगाराम का अगूष्ठ निशान है। पहचान कर्ता का नाम पता दर्ज नहीं होने से तामील की श्रेणी नहीं आता है। आदेश 05 नियम 16 व 18 के तहत तामील नहीं हुई है। अपीलाधीन निर्णय व प्राथमिक डिक्री वादी एवं प्रतिवादी संख्या 03 व 04 की उपस्थिति में एवं अपीलांट/प्रतिवादी संख्या 01 व 02 की अनुपस्थिति में पारित की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री अपीलांटगण की अनुपस्थिति में पारित की गई हो जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ है। वादग्रस्त आराजी मेरे दादा के नाम की थी जिसमें मेरा जन्म से अधिकार है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा हस्तगत वाद में मुझे जबाबदावा एवं साक्ष्य सबूत पेश करने का अवसर नहीं दिया गया। अपने हिस्से से अधिक बेचने का अधिकार किसी खातेदार को नहीं है। अपीलाधीन निर्णय व डिक्री कैम्प कोर्ट में पारित की गई जिसकी जानकारी अपीलांट को नहीं थी। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री मनमाने तरीके से पारित की गई है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खारिज फरमाया जावे। अधिवक्ता अपीलांट ने अपने कथन के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टांत पेश किया:–

RRD 2005 Page 701

वकील रेस्पोडेंट ने बहस करते हुए बताया कि अपीलांटगण के सम्मन पर तामील रिपोर्ट में मगाराम व लिच्छुदेवी का अंगुष्ठ निशान मगाराम स्वयं ने किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी सम्मन पर अपीलांट को पर्याप्त तामील हो चुकी है लेकिन प्रकरण को लंबा करने की नीयत से अपीलांटगण जानबूझकर न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए। वादग्रस्त आराजी दिनांक 04.03.1981 जरिये रजिस्टर्ड बेचान से लगातार कब्जा काश्त है। भूमि की किस्म एक जैसी ही है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय विधि के अनुरूप पारित किया गया है जिसमें किसी तरह की कमी नहीं हैं। किसी का हिस्सा कम–ज्यादा नहीं किया गया इसलिए अपीलांट की अपील खारिज फरमायी जावे।

पत्रावली का अवलोकन किया। विद्वान उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी अपीलांट संख्या 01 के नाम का सम्मन पति से बाद तामील एवं अपीलांट संख्या 02 के नाम जारी सम्मन स्वयं से बाद तामील न्यायालय को प्राप्त हुआ। अपीलांटगण स्वयं मामले में अनावश्य अवरोध डालने एवं मामले को लंबा

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

करने की वजह से न्यायालय में जानबूझकर हाजिर नहीं हुए। अपीलांटगण येन–केन प्रकारेण मामले में अवरोध डालकर इसे अनावश्यक चुनौती देने की मंशा रखते है: और वे न्यायालय में सदभावना के साथ स्वच्छ हाथों से नहीं आए हैं। अपीलांटगण को न्यायालय हाजा द्वारा सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया लेकिन अपीलांटगण द्वारा ऐसा कोई तथ्य पत्रावली पर पेश नहीं किया जिससे यह साबित होता हो की अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि सम्मत नहीं है। प्राथमिक डिक्री में हिस्सों की घोषणा की जाती है जो पहले से जमाबंदी में खुले हुए है। वादीगण सद्भावी क्रेता है। वक्त बेचान अपीलांट नाबालिग थे तथा अपीलांट के पिता को भूमि बेचान का अधिकार था। रेस्पोडेंट/वादीगण सद्भावी क्रेता है तथा वक्त बेचान दिनांक 04.03.1981 वादग्रस्त आराजी पर रेस्पोडेंटगण का कब्जा काश्त है। रजिस्टर्ड बेचान आज भी प्रभावी है जिसे किसी न्यायालय द्वारा शून्य घोषित नहीं किया गया। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपीलाधीन निर्णय व डिक्री में किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि दृष्टिगोचर नहीं होती। लिहाजा अपील अपीलांट खारिज करने योग्य है।

अतः अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर चौहटन के राजस्व वाद संख्या 302/2015 बअनवान पताराम वगै. बनाम लिछुदेवी में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 13.06.2016 को यथावत रखा जाता है।

25/2/20
राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर
(नाथूसिंह राठौड़)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 25.02.2020 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

25/2/20
राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner